UPKJ010015232018

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधि०)

कक्ष सं०–1, कन्नौज।

उपस्थित– श्री हरि प्रसाद (एच०जे०एस०)

विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या–125/2018

उत्तर प्रदेश सरकार .....**अभियोजन पक्ष**

बनाम

दलेल सिंह पुत्र राजाराम ,

निवासी–ग्राम अम्बेडकर नगर सरायमीरा थाना व जनपद कन्नौज। .....**अभियुक्त**

मुकदमा अपराध संख्या–1022/2016

धारा 138 विद्युत अधिनियम 2003

थाना कन्नौज, जनपद कन्नौज।

निर्णय

1. उपरोक्त दाण्डिक वाद थाना कन्नौज, जनपद कन्नौज के मुकदमा अपराध संख्या–1022/2016 में प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर संस्थित किया गया है। इस मामले में अभियुक्त **दलेल सिंह** के विरुद्ध **धारा 138 विद्युत अधिनियम 2003** का अपराध आरोपित है।

2. इस मामले का पंजीकरण सम्बन्धित थाने में अभियोगी अवर अभियंता राजेश कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/तहरीर (प्रदर्श क–1) के आधार पर किया गया जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि दिनांक 26.10.2016 को समय करीब 15.50 बजे मोहल्ला अम्बेडकर नगर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जिसमें बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं के पूर्व में बकाया धनराशि पर विच्छेदित संयोजन की जांच की गयी। जांच टीम में मैं राजेश कुमार अवर अभियन्ता बहादुरपुर व दीप चन्द्र अवर अभियन्ता मकरन्द नगर व हर स्वरूप टी०जी०2 के साथ अभियुक्त दलेल

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.03.30 11:11:36 IST
Reason: ACCUSED ACQUITTAL
Location: ADJ COURT NO 1 KANNAUJ

सिंह पर पूर्व में बकाये पर विच्छेदित संयोजन मौके पर बगैर बकाया भुगतान किये अवैध रुप से जुड़ा एवं चालू पाया गया। अतः मुल्जिम उपरोक्त के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने की कृपा की जाये।

3. इस मामले में स्थानीय थाना द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्त **दलेल सिंह** के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 138बी विद्युत अधिनियम 2003 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लेने एवं आवश्यक विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति करने के उपरान्त **दिनांक 03.12.2025** को अभियुक्त **दलेल सिंह** के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 138विद्युत अधिनियम 2003 में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने स्वयं के विरूद्ध विरचित आरोप से इन्कार करते हुये विचारण की मांग की।

4. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी वादी मुकदमा/पी०डब्लू० 1 अवर अभियंता राजेश कुमार को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में तहरीर प्रदर्श क–1 दर्शांकित कराया गया है।

5. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने कथन किया है कि मेरे विरुद्ध लगाया गया आरोप गलत है। मेरे विरुद्ध झूंठा मुकदमा लिखा दिया। अभियुक्त की तरफ से कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. इस दाण्डिक वाद में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध विरचित आरोप के निर्धारण के लिये प्राप्त साक्ष्यों का विश्लेषण निम्न प्रकार किया जा रहा है–

7. अभियोजन साक्षी/वादी मुकदमा पी०डब्लू०–1 **अवर अभियंता राजेश कुमार** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 26.10.2016 को समय 15:50 बजे मोहल्ला अम्बेडकर नगर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं के पूर्व में बकाये धनराशि पर विच्छेदित संयोजन की जांच की गई। जांच टीम में वह व दीपचन्द्र अवर अभियंता मकरन्द नगर व हरस्वरुप टीजी–2 के साथ उपभोक्ता का पूर्व में बकाये पर विच्छेदित संयोजन

मौके पर बगैर बकाया भुगतान किये अवैध रुप से जुड़ा एवं चालू पाया गया। अभियुक्त दलेल सिंह पुत्र राजाराम निवासी मोहल्ला अम्बेडकरनगर सरायमीरा कन्नौज संयोजन नं० 1213/22528 पर बकाया 45,628 रुपये पर पूर्व में संयोजन विच्छेदित किया गया था जो बिना विद्युत बिल जमा किये कटे हुये संयोजन को अपने स्तर से जोड़कर चलाते पाया गया। घटना स्थल से वापस उपकेन्द्र बहादुरपुर कार्यालय आकर अभियुक्त दलेल सिंह के विरुद्ध धारा **धारा 138 विद्युत अधिनियम** के तहत कम्प्यूटर द्वारा तहरीर टाइप प्रोफार्मा तैयार कराकर व अपने हस्तलेख में अभियुक्त का नाम व पता भरकर अपने हमराहीयों को तहरीर पढ़कर सुनाई व उनसे हस्ताक्षर कराये व स्वयं तहरीर पर हस्ताक्षर करके थाना कोतवाली कन्नौज पर अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा पंजीकत कराया। मूल तहरीर की छायाप्रति पत्रावली पर मौजूद है जिसपर **प्रदर्श क–1** डाला गया। मेरा बयान दरोगाजी ने लिखा था। मेरी निशानेदही पर दरोगाजी ने नक्शा नजरी तैयार किया था।

साक्षी **पी.डब्लू.–1 राजेश कुमार** ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि वह दलेल सिंह के घर दिनांक 26.10.2016 को गया था। घरेलू कनेक्शन का बकाया बिल 46,628 रुपये जमा नहीं किया था। उसी आधार पर मुकदमा लिखा दिया था। कनेक्शन काटने का कोई नोटिस नहीं दिया था। दलेल सिंह द्वारा बिजली बिल का बकाया रुपये जमा कर दिया गया है। कोई बकाया दलेल सिंह पर नहीं है। मुकदमा बकाया धनराशि के लिये लिखाया गया था, क्योंकि रुपये अब जमा हो गया इसलिये अब विद्युत विभाग का मुकदमा समाप्त होने में कोई आपत्ति नहीं है। वह जब दलेल के घर गया था तो मालूम हुआ था कि दलेल गरीब है। जो बिजली का बिल होता है। वही नोटिस होता है। दलेल सिंह ने दिनांक 09.09.2025 विद्युत बिल की धनराशि जमा कर दी है जिसका नोटिस पत्रावली में लगा हुआ है।

इसप्रकार साक्षी पी.डब्लू–1 के बयान से यह विदित होता है कि अभियुक्त पर बकाया समस्त धनाराशि का भुगतान अभियुक्त द्वारा कराया जा चुका है जिसके बावत पत्रावली में विद्युत विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या–7063दिनांकित 09.09.2025 दाखिल है जिसके अनुसार विद्युत विभाग द्वारा स्वयं इस तथ्य का

उल्लेख किया गया है कि इस आपराधिक वाद को समाप्त करने में विद्युत विभाग कोई आपत्ति नहीं है। इसप्रकार वादी मुकदमा के बयान से ही अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप साबित नहीं हो पाया है।

8. पत्रावली के परिशीलन से यह विदित होता है कि पत्रावली में तहरीर में अंकित शेष साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिसका कोई कारण अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसप्रकार अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा–138बी विद्युत अधिनियम 2003 को साक्षी पी.डब्लू–1 अवर अभियंता राजेश कुमार के बयान से साबित होना नहीं कहा जा सकता है।

9. राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक ने कथन किया है कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त द्वारा पूर्व में विच्छेदित संयोजन को पुनः अपने स्तर से जोडकर विद्युत का चोरी से उपभोग किया जाना साबित हो रहा है। अतः अभियुक्त इस मामले में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

10. अभियुक्त की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि अभियुक्त ने कोई विद्युत चोरी नहीं की। अभियुक्त के विरुद्ध झूंठी गवाही दी गई। अभियुक्त द्वारा इस मामले से सम्बन्धित शमन योग्य समस्त धनराशि जमा कर दिया गया है। अभियुक्त पर अब कोई भी देय शेष नहीं है। अभियुक्त इस मामले में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

11. मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, प्रपत्रों, पक्षों के अभिकथनों तथा प्रकटित परिस्थितियों का समग्र परिशीलन किया। अभियुक्त के विरुद्ध विद्युत चोरी के इस एफ.आई.आर. में तथ्य है कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में विच्छेदित संयोजन को पुनः अपने स्तर से जोड़कर विद्युत का चोरी से उपभोग किया जा रहा था।

12. धारा–138बी विद्युत अधिनियम विद्युत चोरी के अपराध में यह विनिश्चयन आवश्यक होता है कि कथित विद्युत चोरी कितने विद्युत अधिभार से किया जा रहा था तथा इस विद्युत चोरी से अभियुक्त को कितना वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में भी अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त मामले में स्वतंत्र साक्षीगणों के साक्ष्य का अभाव है। विद्युत मीटर की कोई

यांत्रिक/तकनीकी जांच आख्या प्रस्तुत नहीं है जो विद्युत चोरी के तथ्य को पुष्टि करता हो।

13. धारा–138बी विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत विद्युत चोरी के आरोप को साबित करने के लिये आवश्यक विशिष्टियों का साक्ष्य न तो विवेचना में संकलित किया गया और न ही विचारण के दौरान उसे साबित कराया गया है। इस साक्ष्य विश्लेषण में यह स्थिति प्रकट हो रही है कि विद्युत चोरी के आरोप को साबित होने के लिये अभियोजन द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत साक्ष्यों से विद्युत चोरी के अपराध की विशिष्टियां साबित नहीं हो रही हैं।

14. पत्रावली में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड कन्नौज, जनपद कन्नौज द्वारा निर्गत पत्र दिनांकित 09.09.2025 के अनुसार उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्त दलेल सिंह पुत्र राजाराम निवासी अम्बेडकर नगर सरायमीरा थाना व जनपद कन्नौज के विरुद्ध पंजीकृत अपराध में बकाया विद्युत बिल का भुगतान रसीद सं० 563658271697 दिनांक 22.04.2025 जमा कर दिया है साथ ही राजस्व निर्धारण शुल्क 8781 रसीद सं० 333256545994 द्वारा दिनांक 08.09.2025 व शमन शुल्क धनराशि रु० 8000 रसीद सं० 333514535062 द्वारा दिनांक 08.09.2025 को जमा कर दिया गया है। इस मामले से सम्बन्धित समस्त शमनयोग्य धनराशि जमा हो चुकी है। इस अपराधिक वाद को समाप्त करने में विद्युत विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

15. उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया धारा–138बी विद्युत अधिनियम 2003 (अप्राधिकृत रूप से विद्युत कनेक्शन संयोजित किया जाना) साबित नहीं हुआ है। अतः विशेष सत्र परीक्षण संख्या–125/2018 राज्य बनाम दलेल सिंह, अन्तर्गत धारा–138 विद्युत अधिनियम 2003 बाबत मुकदमा अपराध संख्या–1022/2016 थाना कन्नौज, जनपद कन्नौज में अभियुक्त **दलेल सिंह** आरोपित अपराध में दोषमक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या–125/2018 बाबत मुकदमा अपराध संख्या–1022/2016 थाना कन्नौज, जनपद कन्नौज के आरोप अन्तर्गत **धारा–**

138 विद्युत अधिनियम 2003 से अभियुक्त **दलेल सिंह** को **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है।

अभियुक्त के जमानत प्रपत्रों को निरस्त करते हुये प्रतिभूगणों को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के अन्तर्गत बीस हजार रूपये की एक जमानत व समान धनराशि का व्यक्तिबन्ध पत्र दाखिल करे।

दिनांक–26.03.2026 (हरि प्रसाद)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(विद्युत अधि०) कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।

J.O.Code– UP6489

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक–26.03.2026 (हरि प्रसाद)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(विद्युत अधि०) कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।

J.O.Code– UP6489

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधि०)

कक्ष सं०–1, कन्नौज।

राज्य बनाम दलेल सिंह

विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या–125/2018

दिनांक–26.03.2026

वाद पुकारा गया। पुकार पर उपस्थित अभियुक्ता मय विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान ए.डी.जी.सी.। पत्रावली बहस हेतु नियत है। तद्नुसार उभय पक्षों की बहस सुनी। पत्रावली वास्ते **आदेश लन्च बाद** पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(विद्युत अधि०) कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।

पत्रावली लन्च बाद आदेशार्थ पेश हुयी। आदेश हुआ कि:–

विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या–125/2018 बाबत मुकदमा अपराध संख्या–1022/2016 थाना कन्नौज, जनपद कन्नौज के आरोप अन्तर्गत **धारा–138 विद्युत अधिनियम 2003** से अभियुक्त **दलेल सिंह** को **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है।

अभियुक्त के जमानत प्रपत्रों को निरस्त करते हुये प्रतिभूगणों को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के अन्तर्गत बीस हजार रूपये की एक जमानत व समान धनराशि का व्यक्तिबन्ध पत्र दाखिल करे।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(विद्युत अधि०) कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।